समाहरणालय, कटिहार

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, कटिहार।
Telephone(o) - 06452-230581 (O)
06452-230583 (R)
Mob. No :- 9473191375
Fax :- 06452-230880
E-mail id - dm-katihar.bih@nic.in

गोपनीय प्रशाखा

–:: आदेश ::–

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 77, दिनांक 21.04.2020 द्वारा COVID-19 संक्रमण के संदर्भ में जिला अन्तर्गत Containment Zone का निर्धारण एवं उससे संबंधित गतिविधियों के संबंध में व्यापक निदेश दिये गये हैं। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Containment Plan से संबंधित मार्गदर्शिका के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित मरीजों/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को संक्रमण केन्द्र (Epicenter) माना गया है और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निदेश प्राप्त है।

कटिहार जिला अन्तर्गत कुर्सेला प्रखण्ड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के तीनघरिया ग्राम के वार्ड नं0–02 में 01 (एक) तथा कदवा प्रखण्ड के रिजवानपुर पंचायत अन्तर्गत रतनपुर गाँव के वार्ड नं0–07 में 01 (एक) व्यक्ति के कोरोना Positive होने की सूचना प्राप्त है।

उक्त परिपेक्ष्य में Containment Zone एवं Buffer Zone का निर्धारण अत्यावश्यक है। Containment Zone में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुचारू रूप से कराये जाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर Essential Commodities Cell (आवश्यक वस्तु कोषांग) का गठन निम्न रूपेण किया जाय :–

-: Essential Commodities Cell (आवश्यक वस्तु कोषांग) :-

Essential Commodities Cell (आवश्यक वस्तु कोषांग) के कार्य सम्पादन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति :–

क्रम संख्या	कोषांग के वरीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोषांग के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोषांग से सम्बद्ध कर्मियों का नाम एवं पदनाम
01	संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी	1.संबंधित अंचल निरीक्षक 2. अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाईटी, कटिहार।	संबंधित प्रखण्ड विकास पदा0 द्वारा नामित 05 कर्मी।

नोडल पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर :–

- **कुर्सेला प्रखण्ड :–** मो0 एहसान अली, अंचल निरीक्षक, कुर्सेला। (मो0 नम्बर–6205633847)।
- **कदवा प्रखण्ड :–** मो0 शमीम अख्तर, अंचल निरीक्षक, कदवा। (मो0 नम्बर–9661300891)।
- **अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी :–** श्री अनिल चमरिया (मोबाईल नम्बर–9431229081)।

कोषांग का कार्यालय :– संबंधित अंचल कार्यालय।

Essential Commodities Cell (आवश्यक वस्तु कोषांग) का दायित्व :–

1. **Resource mapping** :– नोडल पदाधिकारी Containment Zone के भीतर सभी खाद्य सामग्री/आवश्यक वस्तु विक्रेताओं के चिन्हीकरण का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करेंगे। साथ ही Containment Zone के बाहर अवस्थित सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक/खुदरा विक्रेताओं को भी चिन्हित कर सूची (Inventory) तैयार की जाय। उक्त सूची (Inventory) में विक्रेता का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

   उक्त सूची को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी एवं जिला IDRT कोषांग को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. **Communication Plan** :– Containment Zone के अंदर एवं बाहर (Buffer Zone के परिधि के भीतर) के सभी आवश्यक वस्तु विक्रेता, रेड क्रॉस एवं Civil Difence Society के Volunteers एवं पंचायत–स्तरीय कर्मी के मोबाईल नम्बर की सूची (whatsapp no.) अवश्य प्राप्त किया जाय एवं इसे Communication Plan के रूप में इस्तेमाल किया जाय।
3. Communication Plan का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय एवं एतद्संबंधी सूची Containment Zone के अंदर एवं बाहर दिखाई देने वाले (Visible) स्थलों पर चस्पा किया जाय। ताकि Containment Zone के अंदर एवं बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क स्थापित किया जा सके
4. नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि Containment Zone के भीतर वे किराना दुकानदारों एवं Volunteers से समन्वय स्थापित कर Supply Chain निर्बाध रूप से Maintain करेंगे।
5. Containment Zone के भीतर प्रतिनियुक्त पंचायत–स्तरीय कर्मियों द्वारा चिन्हित् किराना दुकानों से सामग्रियों की Home Delivery कराई जाएगी। Home delivery हेतु demand उपभोक्ता (Consumer) द्वारा Whatsapp/दूरभाष पर सूचना के आधार पर किया जाएगा।
6. Volunteers की प्रतिनियुक्ति Containment Zone की परिधि पर ही की जाएगी एवं उनका प्रवेश Containment Zone के भीतर वर्जित होगा। सभी Volunteers संबंधित अंचल निरीक्षक से समन्वय स्थापित कर दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।
7. Containment Zone के बाहर के थोक/खुदरा किराना सामग्री विक्रेताओं से Containment Zone के भीतर के दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति (replenishment) सुनिश्चित की जाएगी। नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे एवं Volunteers के माध्यम से उक्त कार्य का संपादन करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति में टूट नहीं की जाएगी।
8. आवश्यकतानुसार Volunteers द्वारा भी Home delivery Containment Zone के परिधि के Entry/Exit-Gate पर कराई जाएगी। नोडल पदाधिकारी उक्त आवश्यकता हेतु अपने स्तर से संतुष्ट हो लेगें।
9. सभी Volunteers को पास कोषांग द्वारा फोटोयुक्त पास निर्गत किया जाएगा।
10. सभी प्रतिनियुक्त पंचायत–स्तरीय कर्मियों को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पहचान–पत्र निर्गत किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बिना पहचान पत्र के Containment Zone में प्रवेश निषिद्ध होगा।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) द्वारा संबंधित प्रखण्ड हेतु 1–1 वाहन (कुल 02 वाहन) अविलम्ब उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त वाहन नोडल पदाधिकारी द्वारा Volunteers के आवागमन हेतु/कोषांग के अन्य आवश्यक कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा।
12. उक्त सभी निदेशों के अनुपालन के सतत् पर्यवेक्षण की जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड–19 के परिपेक्ष्य में Containment Zone में Quarantine में रह रहे व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो।

उक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1/5

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 05(गो0)/सी0 कटिहार, दिनांक 01/05/2020

प्रतिलिपि :– संबंधित अंचल निरीक्षक एवं अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसायटी, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कदवा एवं कुर्सेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, कटिहार एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य), कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांगो के नोडल एवं वरीय पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के जिला स्तरीय नोडल एवं वरीय पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला स्तर पर गठित IDRT टीम के अध्यक्ष एवं Tracking, Sanitation एवं Awarness & IEC टीम के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/5

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।